

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थान	- जनपद रुद्रप्रयाग की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी भाई की मढ़ी के बगैचे का निर्माण
I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	- उत्तराखण्ड
II) जिला	- रुद्रप्रयाग
III) वन प्रभाग	- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग
IV) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	0.264 हे०
V) वन की कानूनी स्थिति	- आरक्षित वन
VI) हरियाली का घनत्व	- 30%
VII) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। रिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफओआर0एल0-8मी0 पर परिगणना भी संलग्न की जाये।	- संलग्न
VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है,
IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।	- 21.50 किमी०
X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जेवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)	- नहीं
XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	- नहीं
XII) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्मारक/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो,	- नहीं

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जंचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

अपरिहार्य और न्यूनतम है,

क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है(हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-

संलग्न

i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार

संलग्न

ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न

iii) शोषित की जानें वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।

संलग्न

iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परित्यय

v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र(सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न

vi) जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7(XI.XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये(संलग्न करें)

संलग्न

vii) प्रभाग/जिला प्रोफाइल, जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

रूद्र प्रयाग वन प्रभाग / रूद्र प्रयाग
1984 वर्ग. किमी.

viii) जिला का वन क्षेत्र।

1984 वर्ग. किमी.

1790 - 99.5 वर्ग. किमी.

ममलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

570.285 hac. 143 Case

III

1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

719.96 hac. 26.12 R.Km.

क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

X

ख) वनेत्तर भूमि पर.....
.....2014.....तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

क) वन भूमि पर

ख) वनेत्तर भूमि पर

719.96 hac. 26.12 R.Km.

प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वनसंरक्षक की विशेष रिफरिश।

प्रकल्प जनसुरक्षा से सम्बन्धित है, अतः जनहित में सिफरिश की जाती है।

दिनांक: 15-1-2014

स्थान: रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम

(किशन चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

सरकारी मोहर रुद्रप्रयाग